रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1971/कार्तिक 21, 1893

No. 202] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1971/KARTIKA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th November 1971

G.S.R. 1730.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944 and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. G.S.R. 1482, dated the 21st June, 1969, G.S.R. 862, dated the 28th May, 1970 and G.S.R. 1406, dated the 23rd September, 1971, the Central Government hereby specifies the following further excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in Item No 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

2. This notification shall come into force on the 15th November, 1971.

[No. 195/71.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1730—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि सं० 1482, तारीख 21 जून, 1969, सा० का० नि० सं० 862, तारीख 28 मई, 1970, और सा०का०नि० सं० 1406, तारीख 23 सितम्बर, 1971, के अनुवर्तन में केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अपर उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, एतद्द्वारा ऐसे उत्पाद-शुल्क योग्य माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसे उक्त नियम के अध्याय 7-क के उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944, (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 61 में समाविष्ट माल।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 1971 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 195/71]

एम० पी० कम्पानी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971